(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 24 जुलाई, 2014

अधिसूचना

1895

का.आ. (अ).- केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 25 की उप-धारा (1), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 24 जुलाई, 2014 से भंग करती है।

2. उक्त आयोग के भंग हो जाने के परिणाम स्वरूप और उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में,-

(क) सभी प्रकार की सम्पत्तियां और निधियां, जो भंग होने की उक्त तारीख से ठीक पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कब्जे में थीं, अब केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी; और

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अपने सम्बंधित पदों को रिक्त कर देंगे।

[फा. सं.6(1)/2011-केवीआई-II]

बी.एच. अनिल कुमार

(बी.एच. अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार